प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2017 को आयोजित विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. प्रशाखा–11/अभियंत्रण कोषांग की सभी संचिकाएं ई०–ऑफिस के माध्यम से हस्तांतरित की जाय। अधोहस्ताक्षरी कोषांग में इस प्रशाखा सभी संचिकाएं ई०–ऑफिस के द्वारा ही प्राप्त की जाएगी। आई०टी० मैनेजर को निर्देश दिया गया कि वे इस सप्ताह के अंत तक प्रशाखा–1 की सभी संचिकाएं ई०–ऑफिस में इंट्री कराने की व्यवस्था करेंगे तथा प्रत्येक सप्ताह में क्रमवार सभी प्रशाखाओं की संचिकाओं को ई०–ऑफिस में इंट्री कराना सुनिश्चित करेंगे। अगले सप्ताह से अधोहस्ताक्षरी कोषांग में प्रशाखा–1 की सभी संचिकाएं ई०–ऑफिस के माध्यम से ही प्राप्त की जाएगी।
(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)

3. आई०टी० मैनेजर को यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विभागीय पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों तथा अवर सचिवों के कार्यालय कक्ष में कम्प्यूटर (इंटरनेट सहित) 02 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से अधिष्ठापित कर दी जाय। यदि कहीं कम्प्यूटर के अधिष्ठापन में कोई कठिनाई हो या किसी पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में कम्प्यूटर के अधिष्ठापन में सहयोग नहीं किया जाता है तो इसकी लिखित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उसी दिन उपलब्ध कराएंगे। **(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)**

4. विभाग में सचिवालय सहायक के रिक्त पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के 'सहायक' पद से सेवानिवृत्त कर्मियों की सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में संविदा पर नियोजन के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी–1 द्वारा बताया गया कि इस हेतु रोस्टर क्लीयरेंस हो गया है।

निर्देश दिया गया कि इस सप्ताह के अंत तक विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

5. विभाग में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के रिक्त पदों एवं सचिवालय सहायक के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु पदवार रिक्ति की विवरणी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग को अनुरोध पत्र भेजा जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

6. विभागीय संवर्ग के कर्मियों यथा समूह 'घ' एवं निम्नवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। इस हेतु संबंधित सभी कर्मियों की वरीयता सूची/सेवा सम्पुष्टि/वार्षिक चारित्री आदि प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाय। जिन कर्मियों का ACP/MACP लंबित है, उन्हें ACP/MACP देने हेतु प्रस्ताव संचिका में एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 11)**

7. श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता को Urban Transport Policy कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में संचिका में प्रस्ताव आज ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

8. नगर निगम, बिहार शरीफ, भागलपुर एवं पूर्णियां में पदस्थापित नगर आयुक्तों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरित करते हुए/विभाग से सेवा वापस लेते हुए अन्यत्र पदस्थापित किया गया है,

जिसके कारण इन नगर निगमों में नगर आयुक्त का पद वर्तमान में रिक्त है। नगर निगम, बिहार शरीफ एवं भागलपुर में भा०प्र०से० के पदाधिकारी एवं नगर निगम, पूर्णिया में बि०प्र०से० के वरीय पदाधिकारी को नगर आयुक्त के पद पर शीघ्र पदस्थापन हेतु आज ही सामान्य प्रशासन विभाग को अनुरोध पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

9. सभी नगर निकायों द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को NULM, SBM एवं HFA का शिविर आयोजित करके लाभार्थियों को कार्यादेश/राशि का हस्तांतरण करने का निर्देश पूर्व से निर्गत है।

जिले के सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस माह के प्रथम शनिवार (दिनांक 05.08.2017) को शिविर के आयोजन हेतु अपने प्रभार के जिले के नगर निकायों से समन्वय करके शिविर आयोजित कराएंगे एवं शिविर के दिन अपने प्रभार के नगर निकायों में उपस्थित रहेंगे तथा शिविर की तिथि को ही अप० 05:00 बजे प्रगति प्रतिवेदन ई०–मेल के माध्यम से विभागीय MIS Cell को उपलब्ध कराएंगे। MIS Cell द्वारा यह प्रतिवेदन समेकित करके उसी दिन अधोहस्ताक्षरी को ई०–मेल पर उपलब्ध करायी जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी नोडल पदाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार एवं तृतीय शनिवार को नियमित रूप से यह शिविर आयोजित करने हेतु संबंधित नगर निकायों से अनवरत समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)

10. सुरसंड, त्रिवेणीगंज, पालीगंज, सिंधिया एवं बौंसी को नगर पंचायत के रूप में गठन हेतु प्रस्ताव संचिका में पूर्ण तथ्यों को अंकित करते हुए माननीय मंत्री के अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–5)

11. GIS mapping एवं Property Survey के लिए server के specification के आँकलन हेतु श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव के स्तर पर एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाय, जिसमें इस कार्य हेतु सभी आवश्यकताओं का आँकलन करते हुए प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर अवगत कराया जाय।

(अनुपालन :– TCPO/श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव)

12. नाली–गली निश्चय योजना एवं पेयजल निश्चय योजना के नोडल पदाधिकारियों का निर्देश दिया गया कि वे इस योजनांतर्गत सभी योजनाओं में नगर निकायों द्वारा प्रत्येक वार्ड की निविदा शीघ्र प्रकाशित करने हेतु सभी नगर निकायों के साथ दूरभाष के माध्यम से समन्वय सुनिश्चित करेंगे एवं जिन नगर निकायों द्वारा निविदा प्रक्रिया करने में यदि कहीं कोई समस्या है तो उसकी जानकारी प्राप्त करके समेकित प्रतिवेदन तैयार कर एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे।

(अनुपालन :– श्री प्रेमनाथ, का०अभि०/श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)

13. भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए निर्धारित सुशासन सूचकांक की राज्य के संदर्भ में प्रासंगिता पर विचार करने हेतु आज दिनांक 01.08.2017 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें निर्देश प्राप्त हुआ कि पोर्टेबल वाटर के अंतर्गत सभी शहरों को आच्छादित किया जाना श्रेयष्कर होगा। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं AMRUT योजनांतर्गत राज्य के सभी शहर पेयजल योजना से पूर्णतः आच्छादित हो रहे हैं।

निर्देश दिया गया कि विभाग से इस संबंध में प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को आज ही उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी, 2 एवं 3)

14. बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा नगर निकायों में कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित विवरणी यथा आच्छादित होने वाले वार्डों की संख्या, भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तथा मुख्यमंत्री पेयजल

निश्चय योजना अंतर्गत बिहार राज्य जल पर्षद में TA/TS हेतु लंबित प्राक्कलन एवं निविदा निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन 02 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु संबंधितों को पत्र भेजा जाय एवं इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर दिनांक 03.08.2017 को बिहार राज्य जल पर्षद एवं बुडको के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करायी जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

15. सभी नगर निकायों को इस संबंध में दिशानिर्देश भेजा जाय कि मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली–गली निश्चय योजनांतर्गत नगर निकायों द्वारा कराये जा रहे पक्की गली के निर्माण के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन पथों में पूर्व से पक्की नाली निर्मित नहीं है, वहाँ गली के निर्माण के साथ ही पक्की नाली के प्रावधान को भी योजना के प्राक्कलन में सन्निहित रखेंगे। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

16. Public Toilet का PPP आधारित निर्माण हेतु विस्तृत गाईडलाईन तैयार करने हेतु विभागीय मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर पर कमिटी गठित करके एक पक्ष के अंदर गाईडलाईन तैयार किया जाय। इस हेतु वे अपने कमिटी में पटना नगर निगम के मुख्य अभियंता एवं SPMG कोषांग के श्री निखिल रंजन को सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

17. Advertisement Tax नगर निकायों को प्राप्त हो, इसके लिए यथोचित कार्रवाई किया जाय। इस हेतु अन्य राज्यों के advertisement rules का अध्ययन करके, राज्य के नगर निकायों के लिए advertisement rules तैयार करने हेतु शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। **(अनुपालन :– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)**

18. निर्देश दिया गया कि AMRUT योजनांतर्गत PDMC के चयन संबंधी प्राप्त निविदा के technical evaluation हेतु गठित समिति द्वारा evaluation का कार्य आज ही पूर्ण करके संचिका में उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव)**

19. पटना मेट्रो रेल के संलेख को modified करके तथा पटना एवं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के SPV के गठन के लिए AoA एवं MoA संबंधी संलेख को finalised करके मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संचिका में आज ही उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभि०)**

20. निर्देश दिया गया कि HFA योजनांतर्गत SLTC एवं CLTC के गठन संबंधी RFP प्रारूप को finalised करके आज ही संचिका में उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव)**

21. पेयजल योजना के रखरखाव एवं देखरेख हेतु शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड स्तर पर "वार्ड कमिटी" के गठन हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा गठित वार्ड समिति के प्रावधानों एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का अध्ययन करके, नगर निकाय स्तर पर वार्ड समिति के गठन हेतु दिशानिर्देश प्रारूप तैयार कर नगर निकायों को भेजा जाय। इस दिशानिर्देश प्रारूप में ही water user charges की policy को भी सन्निहित किया जाय। Water user charge हेतु ए०पी०एल० एवं बी०पी०एल० परिवारों के लिए एक ही दर पर शुल्क निर्धारित किया जाय। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश प्राप्त हुए हैं। **(अनुपालन :–श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक)**

22. स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करने हेतु भारत सरकार से संभवतः दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में विभाग स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

    इस संबंध में पिछली बैठकों में निर्देशित किया जाता रहा है कि भारत सरकार के वेबसाईट एवं अन्य राज्यों द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान का अध्ययन करके, उसके आधार पर स्वच्छता

एक्शन प्लान तैयार करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय, लेकिन अभी तक विभाग स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। निर्देश दिया गया कि उक्त निर्देश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

23. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, Compliance report, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय। प्रशाखा पदाधिकारी–7 द्वारा Compliance report श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी एवं वे इस हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

    प्रशाखा पदाधिकारी–7 को यह भी निर्देश दिया गया कि CAG का Compliance report यदि ससमय नगर निकायों/एजेंसियों से प्राप्त नहीं होता है तो उसे उस जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी को समन्वय करके प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :–प्रशाखा पदा०–7 एवं आई०टी० मैनेजर)

24. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

2/8/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5155 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 02/8/17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/SPMG कोषांग/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/8/2017

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

➤ **प्रशाखा–01 :–**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ **प्रशाखा–02 :–**

1. **सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :–**
   - राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
   - सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे–छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
   - शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
   - शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
   - इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
   - नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
   - शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
   - बिहार राज्य जल पर्षद् का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
   - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।

- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर–टू–डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. **स्ट्रीट लाईट :–**
   - शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

3. पार्क एवं हरियाली विस्तार :–

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–

(i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।

(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) सभी शहरी घरों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।

(iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन–सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ **प्रशाखा–03 :–**

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जल निसरण :–

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. शहरी परिवहन :–

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने–जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार–विमर्श किया जाय।

4. सबके लिए शौचालय :–

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्त्तमान सूची में छूटे हुए है उनको सम्मलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार–विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. सिवरेज की व्यवस्था :–

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :–

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–

(i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
(iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➢ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :–

(i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➢ प्रशाखा–04 :–

1. सबके लिए आवास (शहरी) :–

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।
3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–

(i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

- NULM से संबंधित कार्य :–

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➢ प्रशाखा–05 :–

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग–अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा–5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :–
   - नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
   - बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।
6. नगरीय प्रशासन :–
   - "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
   - नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
   - पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
   - विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनगर्ठन पर विचार किया जाए।
   - Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
   - अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।
7. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–

   (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➢ **प्रशाखा–6 :–**

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➢ **प्रशाखा–07 :–**

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Doubel Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➢ **प्रशाखा–8 :–**

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➢ **प्रशाखा–9 :–**

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➢ **प्रशाखा–10 :–**

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।

- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➢ **प्रशाखा–11 :–**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास** :–
   - मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
   - सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
   - नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को काई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
   - "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
   - पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
   - 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
   - शहरों के आस–पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
   - "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
   - TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते है।
   - पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
   - पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।
2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–
   (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला–मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।
3. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।

➢ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य** :–

(i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
(ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।